संख्या – 3461 / 15–7–16(40) / 1998

प्रेषक,

अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 1998

विषय : कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4) संस्था द्वारा राज्य सरकार के किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परषिद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान पुनः समाप्त हो जायेगी।
5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानां तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियो की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

क्रमश 2

Principal
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

Chairman/Manager
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2 प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माणाधीन कक्षों को पूर्ण कराया जाय।

3 उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

पृ. सं. 3461(1)/15–7–98 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 – मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3– जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर।
4– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– प्रबन्धक, कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

31/08/98

Principal
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

~~Chairman~~/Manager
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर।

पत्रांक प्रबन्ध/मान्यता 5581 /2023 – 24 दिनांक 20-1-24

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को इस कार्यालय के पत्रांक: 396 – 98 दिंनाक 18.04.2015 के द्वारा **कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम** की मान्यता तीन वर्ष के लिए प्रदान की गई थी। साथ ही शासनादेशानुसार यह भी इंगित किया गया था यदि विद्यालय के विरूद्ध तीन वर्ष तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है तो यह मान्यता स्वतः ही स्थायी मान ली जायेगी।

अतः कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र बुलन्दशहर के विरूद्ध अघतन कोई भी शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है, तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः शासनादेशानुसार कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल सिकन्द्राबाद की मान्यता स्थायी है।

डा0(लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

पृ0सं0:प्रबन्ध/मान्यता 5581 /2023 – 24, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रबन्धक कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को उनके प्रार्थना पत्र के कम में।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

Principal
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

~~Chairman~~/Manager
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

मान्यता कोड संख्या– अंग्रेजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर–2

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,
कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल,
सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र
जिला–बुलन्दशहर।

पत्रांक/शि0स0/मान्यता/396-98 /2015–16 दिनांक – 18-4-15

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख **27.08.2014** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **कैमब्रिज ग्लोबल स्कूल, सिकन्द्राबाद नगर क्षेत्र, जिला–बुलन्दशहर** को तारीख **01.04.2015** से तारीख **31.03.2018** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा आठ तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक **30.03.2015** के प्रस्ताव संख्या .... में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा **आठ** के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

BSA-2(58)

Principal
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

~~Chairman~~/Manager
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है, और;

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	1441 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	–	700 वर्ग मीटर
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	–	741 वर्ग मीटर
कक्षाओं की संख्या	–	16
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	–	3
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–	उपलब्ध हैं
पेयजल सुविधा	–	उपलब्ध है।
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई		
बाधारहित पहुंच		
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता		

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

BSA-2(59)

Principal
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

~~Chairman~~/Manager
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या– अंग्रेजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर–2 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
19. विद्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।
20. मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(महेश चन्द)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

पृ०सं०/शि०सं०/ . /2015–16 तद्दिनांक –

प्रतिलिपि–

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र ...सिकन्दराबाद
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

BSA-213

Principal
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

~~Chairman~~/Manager
Cambridge Global School
Sikandrabad (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner